(46)

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र० सर्किट कोर्ट रीवा

प्रकरण क्रमांक M. 5170-ई/16

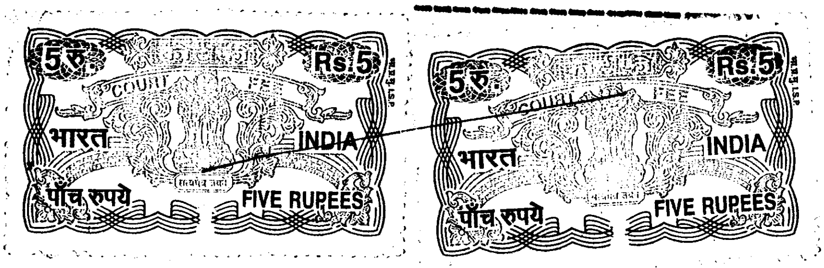

घनश्यामदास अग्रवाल तनय श्री आर०डी० अग्रवाल निवासी रीवा रोड सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र० -------- आवेदक

विरुद्ध

1- म०प्र०शासन

2- मनीष कुमार अग्रवाल तनय राधेश्याम अग्रवाल बन्हनावां, तहसील रघुराजनगर जिला सतना म०प्र० ------------ अनावेदकगण

श्री संतोष सिंह (counsel) द्वारा आज दिनांक 06.4.16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

पुर्नविलोकन बावत आवेदन आदेश राजस्व मण्डल म०प्र० दिनांक22-10-12 बावत प्रकरण क्रमांक 1324/ IV/ 2007

अन्तर्गत धारा51 म०प्र० भूराजस्व संहिता सन 1959ई०

मान्यवर,

पुनर्विलोकन के आधार निम्नलिखित हैं:-

1- यहकि माननीय अदालत द्वारा पारित आदेश दिनांक 22-10-12 तथ्य व विधि की प्रकट भूल है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 5170–तीन / 2016 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09–02–2017	आवेदक एवं अनावेदक कमांक 1 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा गाह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 में पुनर्विलोकन का कोई प्रावधान नहीं है । इस न्यायालय की पूर्णपीठ द्वारा भी इसी आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत पारित आदेश का पुनर्विलोकन मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है । अतः उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में यह पुनर्विलोकन अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) **अध्यक्ष**	